रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249131
CG-DL-E-04102023-249131

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2023/आश्विन 8, 1945
No. 248] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2023/ASVINA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

फा. सं. 1(1)/2020-एसएसएस.—भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम नामक अधिसूचना संख्या 1(1)/2020-एसएसएस दिनांक 19.02.2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

क. खंड **6.3. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने** को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

i. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना: इसका तात्पर्य इकाई के सभी चरण पूरे होने के बाद तैयार माल का वाणिज्यिक आधार पर विनिर्माण शुरू करने से है जिससे पहले प्रत्येक अथवा सभी चरणों का परीक्षण उत्पादन तथा वाणिज्यिक गुणवत्ता के तैयार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की संस्थापना और विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी कच्चे सामान, उपभोग्य वस्तुओं आदि की उपलब्धता आती है।"

ii. इकाई को मध्यवर्ती चरणों में उत्पादित/विनिर्मित तैयार माल को बेचने अथवा उसकी आपूर्ति* करने की अनुमति होगी। केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम 2021 के खंड 6.8 (क) के तहत आवश्यकता के अनुसार सभी चरण पूरे करने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख **पंजीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।** वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की गणना पूरी परियोजना के प्रचालनरत (पंजीकरण के 3 वर्ष के भीतर) होने की तारीख से की जाएगी।

("आपूर्ति का तात्पर्य: माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति जैसा कि जीएसटी अधिनियम, 2017 में परिभाषित है)

iii. उपर्युक्त संशोधित परिभाषा के अनुसार, आवेदक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद ही प्रोत्साहन का दावा करने का पात्र होगा।

iv. "वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने" की संशोधित परिभाषा स्कीम के सभी प्रावधानों/घटकों/खंडों पर लागू होगी। उदाहरण के लिए, दावे की पात्रता का निर्णय करने के लिए, सभी चरण पूरे होने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख (संशोधित परिभाषा के अनुसार) पर विचार किया जाएगा।

ख. खंड **10.1. पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)** को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

10.1. पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)

(क) पात्रता:

(i) निम्नलिखित इकाइयां इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी

क. संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) अथवा भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) में अधिकतम 50.00 (पचास) करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली जोन क और जोन ख, दोनों की नई इकाइयां यह प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

ख. संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) अथवा भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) में अधिकतम 50.00 (पचास) करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली जोन क और जोन ख, दोनों की पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयां इस प्रोत्साहन के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

ग. स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की इकाई इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पात्र होगी। जोन क और जोन ख दोनों में, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की नई इकाई और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयां, इस प्रोत्साहन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी, भले ही उनका वास्तविक निवेश (निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है) कुछ भी हो।

(ii) खंड 6.8 (ग) में परंतुक के अध्यधीन, कोई भी इकाई केवल तभी इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी जब वह नई संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) की संस्थापना अथवा नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) का निर्माण करती है, जहां खरीद निरपेक्ष बाजार मूल्य पर की गई हो।

(iii) सेवा क्षेत्र की इकाई इस प्रोत्साहन के लिए तब पात्र होगी जब वह नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों में कम से कम 1.00 करोड़ रुपए का निवेश करती है।

(ख) (i) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जोन क श्रेणी के ब्लॉक्स में स्थित सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) में किए गए निवेश अथवा भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) की संस्थापना के लिए 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपए है।

(ii) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जोन क श्रेणी के ब्लॉक्स में स्थित स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की सभी पात्र इकाइयों को भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों की संस्थापना में किए गए निवेश के 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 15.00 करोड़ रुपए है।

(ग) (i) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जोन ख श्रेणी के ब्लॉक्स में स्थित सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) में किए गए निवेश अथवा भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) की संस्थापना के लिए 50 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 7.50 करोड़ रुपए है।

(ii) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जोन ख श्रेणी के ब्लॉक्स में स्थित स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की सभी पात्र इकाइयों को भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों की संस्थापना में किए गए निवेश के 50 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 15.00 करोड़ रुपए है।

(घ) एक मौजूदा इकाई पर्याप्त विस्तार करने के लिए स्कीम की वैधता अवधि के दौरान केवल एक बार यह लाभ प्राप्त कर सकती है।

(ङ) इस स्कीम के तहत पंजीकृत नई इकाई पर्याप्त विस्तार के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।

(च) इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए इकाई का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है।

हालांकि, विशेष परिस्थितियों में, औचित्य सहित केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश पर, संचालन समिति भौतिक सत्यापन की बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा उचित माने गए अन्य तरीकों पर विचार कर सकती है।

(छ) पंजीकरण और इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

ग. खंड **10.2 (ख)** को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

सभी पात्र इकाइयां इस स्कीम के तहत, 'विनिर्माण इकाई के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी' की अधिप्राप्ति तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों के मामले में 'भवन निर्माण तथा अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों' के लिए स्वीकृत ऋण राशि के संवितरण की तारीख के बाद किसी भी तारीख से अधिकतम लगातार 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से पूंजीगत ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह प्रोत्साहन, पात्र निवेश की तुलना में दिनांक 01.04.2019 अथवा उसके बाद संवितरित सावधि ऋण के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि, इस प्रोत्साहन के तहत पात्र राशि का संवितरण वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही किया जाएगा।

बालमुरुगन डी., संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, 29th September, 2023

F. No. 1(1)/2020-SSS.—The Government of India hereby makes the following amendments to the Notification No. 1(1)/2020-SSS dated 19.02.2021, titled New Central Sector Scheme for Industrial Development of Union Territory of Jammu & Kashmir.

A. clause **6.3. Commencement of Commercial Production** shall be replaced with the following:

i. Commencement of Commercial Production: means starting of manufacturing of finished goods on a commercial basis after completion of all the phases of the unit, which is preceded by trial production of every or all phases and installation of complete plant and machinery for manufacturing of finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacturing are available.

ii. The unit shall be allowed to sell or supply* the finished goods produced/manufactured in the intermediate phases. The date of commencement of commercial production after the completion of all phases **shall not be later than 3 years from the date of grant of registration** as per the requirements under clause 6.8(a) of the New Central Sector Scheme 2021. Commencement of commercial production shall be counted from the date on which the entire project gets grounded (within 3 years of registration).

(*Supply means: supply of goods or services as defined in GST Act, 2017)

iii. The applicant will be eligible for claiming incentives only after the date of commencement of commercial production as per the amended definition above

iv. The amended definition of "Commencement of Commercial Production" will apply to all the scheme's provisions/components/clauses. For instance - The commencement date of commercial production after the completion of all phases (as per the amended definition) shall be considered to decide the claim's eligibility.

B. The clause **10.1. Capital Investment Incentive (CII)** shall be replaced with the following:

10.1. Capital Investment Incentive (CII)

(a) Eligibility:

(i) The following units will be eligible to avail of this incentive

a. New units with an investment of not more than Rs.50.00 (Fifty) crore in Plant & Machinery (for the manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for the service sector) will be eligible to avail of this incentive in both Zone A and Zone B.

b. Existing units undertaking substantial expansion with an investment of not more than Rs.50.00 (Fifty) crore in Plant & Machinery (for the manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for the service sector) will be eligible to avail benefit under this incentive in both Zone A and Zone B.

c. The health care sector unit will be eligible to avail this incentive-. New unit and Existing units-undertaking substantial expansion of healthcare sector will be eligible to avail benefit under this incentive in both Zone A and Zone B, irrespective to their actual investment (no upper cap of investment)

(ii) Subject to provision in Clause 6.8(c), a unit will be eligible for this incentive only if it installs a new plant and machinery (for the manufacturing sector) or constructs new building and other durable physical assets (for the service sector), where purchases have been made based on Arm's Length Pricing,.

(iii) A service sector unit will be eligible for this incentive only if it makes an investment of not less than Rs. 1.00 crore in the new building and other durable physical assets

(b) (i) All eligible units located in Zone A category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @30% of the investment made in plant and machinery (for manufacturing sector), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with maximum limit of Rs. 5.00 crore.

(ii) All eligible units of healthcare sector located in Zone A category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @30% of the investment made in construction of building and installation of other durable physical assets with maximum limit of Rs. 15.00 crore.

(c) (i) All eligible units located in Zone B category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @50% of the investment made in plant and machinery (for manufacturing), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with maximum limit of Rs.7.50 crore.

(ii) All eligible units of healthcare sector located in Zone B category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @50% of the investment made in construction of building and installation of other durable physical assets with maximum limit of Rs. 15.00 crore.

(d) An existing unit can avail this benefit for substantial expansion only once during the validity period of the scheme.

(e) A new unit registered under the scheme will not be eligible to avail the benefit under substantial expansion.

(f) Physical verification of the units is mandatory before availing this incentive. However, under special circumstances, on recommendations by UT, with due justification, Steering Committee may consider electronic modes, or any other method as deemed appropriate in lieu of physical verification.

(g) Detailed procedure for registration and availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

C. The clause **10.2 (b)** shall be replaced with the following:

All eligible units can avail of Capital Interest Subvention at the annual rate of interest of 6% for a maximum of 7 consecutive years from any date after the date of disbursement of sanctioned loan amount availed for procurement of 'P&M in case of Manufacturing units' and 'building and other durable physical assets' in case of Service units. The incentive shall be provided on a term loan disbursed on or after 01-04-2019 against the eligible investment. However, disbursement of eligible amounts under this incentive shall begin only after the commencement of commercial production.

BALAMURUGAN D, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA